

खण्ड संख्या-02, गाटा संख्या-2/1, श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह पटेधारक के बालू खनन पटे का क्षेत्रफल 9.216 हेक्टेयर ग्राम-ऊँचागांव खादर, तहसील-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर में बालू के खनन प्रोजेक्ट पर दिनांक- 23.10.2018 को अपराह्न: 04.00 बजे सभागार, तहसील-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर में सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवृत्ति के सम्बन्ध में :-

उपरोक्त संदर्भित बालू माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या-एच 25562/सी-4 /एनओसी/210/2018 दिनांक 13.09.2018 जो जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर को पृष्ठांकित है के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 23.10.2018 को नामित अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक) की अध्यक्षता में बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 19.09.2006 यथा संशोधित पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-1533 दिनांक 14.09.2006 अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत समाचार अप्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 23.10.2018 को जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री शमशाद हुसैन की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन सभागार तहसील-डिबाई, जनपद- बुलन्दशहर में आयोजित की गयी। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जनपद-बुलन्दशहर।
2. श्री उमाशंकर सिंह, उपजिलाधिकारी, तहसील-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर।
3. श्री आर०वी०सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
4. डॉ० एदल सिंह, सहायक भू वैज्ञानिक, बुलन्दशहर।
5. श्री राजकुमार यादव, तहसीलदार-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर।
6. श्री एस०सी० गर्ग, अपर सांख्यिकी अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर।
7. श्री सोम्य द्विवेदी, इंड टेक हाउस कंसल्ट दिल्ली, जी 8/6, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 11, रोहिणी दिल्ली-110065

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री आर०वी० सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अभिकथित किया गया कि उक्त परियोजना में बालू का खनन का कार्य गंगा नदी के किनारे, खण्ड संख्या-02, गाटा सं०-२/१, ग्राम-ऊँचागांव खादर, तहसील-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ०प्र० सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरोमेन्टल इम्पैक्ट असिस्मेन्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है B1 श्रेणी के अन्तर्गत खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस-पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि खनन

.....2

कार्य से आस-पास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर पट्टेधारकों द्वारा मैसर्स इंड टेक हाउस कसल्ट दिल्ली, जी 8/6, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 11, रोहिणी दिल्ली-110065 को परामर्शी नियुक्त किया गया था। दिल्ली, जी 8/6, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 11, रोहिणी दिल्ली-110065 को परामर्शी नियुक्त किया गया था। दिल्ली, जी 8/6, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 11, रोहिणी दिल्ली-110065 को परामर्शी नियुक्त किया गया था। दिल्ली, जी 8/6, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 11, रोहिणी दिल्ली-110065 को परामर्शी नियुक्त किया गया था।

परामर्शी श्री सोम्य द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित खनन पट्टा क्षेत्र 9.216 हेक्टेयर है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बालू खनन ही है, जिससे राजकीय एवं निजी निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यूनतम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये, जैव भौतिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा।

साथ ही अवगत कराया गया है कि परियोजना में कार्य करने वाले समस्त श्रमिकों के स्वास्थ की पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेधारक की होगी तथा परियोजना के प्रारम्भ होने पर ग्राम वासियों को रोजगार की प्राप्ति होगी। खनन कार्य के परिवहन हेतु वाहनों ट्रकों/ट्रैक्टर/डम्पर इत्यादि के आवागमन से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु परियोजना में जल छिड़काव की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा। पट्टेधारक द्वारा समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जायेगा कि अनावश्यक हार्न का प्रयोग न करें। खनन कार्य दिन के समय ही किया जायेगा। अगर पट्टेधारक द्वारा किसी भी निजी भूमि में रास्ता बनाया जाता है तो उसको नियमानुसार उचित मुआवजा तथा उसकी सहमति के उपरान्त ही बनाया जा सकता है। स्थल पर कूड़ेदान (डस्ट बिन) की व्यवस्था की जायेगी। मूवेबिल टॉयलेट (शौचालय) की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। परामर्शी, संस्था द्वारा जल/वायु ध्वनि आदि से सम्बन्धित नमूने एकत्रित किये गये थे। विश्लेषण के उपरान्त प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानकों से कम पाये गये हैं।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपरिथित ग्रामवासियों से आग्रह किया गया कि आप सब अपने-अपने आपत्ति/सूझाव दर्ज कराये जिससे कि आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाया जा सके!

सर्वप्रथम परामर्शी सोम्य द्विवेदी द्वारा सभी का स्वागत करते हुए यह कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देंगे। उनके द्वारा बताया गया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, शासनादेश सं0-1875 / 86-2017-57 (सा) 2017 टीसी-1 दिनांक 14.08.2017 के द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उप खनिज बालू आदि के रिक्त क्षेत्रों पर उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्रविधानों के अन्तर्गत ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से जनपद बुलन्दशहर में बालू खनन हेतु तहसील डिबाई के ग्राम -ऊँचागाँव खादर के 03 क्षेत्रों में बालू को ई-निविदा के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति सं0-51 / खनन अनुभाग दिनांक 08.01.2018 को ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड

करते हुए दिनांक 13.02.2018 से दिनांक 16.02.2018 के मध्य ई-निविदा आमंत्रित की गयी।

उक्त विज्ञप्ति के खण्ड क्रमांक सं 02 पर अंकित ग्राम ऊँचागाँव खादर के खण्ड सं 02, गाटा सं 02/1 क्षेत्र 9.216 हेक्टेयर से अनुमानित खनन 92160 घनमीटो प्रतिवर्ष में द्वितीय चरण की नीलामी जो दिनांक 20.02.2018 को दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक निर्धारित थी, उक्त निर्धारित तिथि पर द्वितीय चरण की नीलामी में आपके द्वारा रु 691/- की सर्वाधिक बिड प्रस्तुत कर बालू खनन हेतु बालू खनन पट्टा प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र की मात्रा 114240 घनमीटर की कुल धनराशि रु 78939840/- (सात करोड़ नवासी लाख उन्तालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र) प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित की गयी है।

प्रस्तावित परियोजना का उददेश्य नदी के किनारे का चौड़ा होने से रोकना तथा आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाना। नदी के बहाव क्षेत्र से लघु खनिजों (बालू) के खनन एवं संग्रहण के द्वारा नदियों के मौजूदा मार्ग को बनाये रखना। समाज के गरीब वर्ग के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। इस परियोजना से निर्माण सामग्री बालू की आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे राज्य में बुनियादी जरूरतें जैसे— सड़कों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तावित परियोजना से खनन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 9.216 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित है। हर वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 92160 घनमीटो सामग्री के संग्रहण की प्रस्तावना की गयी है। विचाराधीन खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। नदी में जल प्रवाह की मात्रा कैचमेन्टक्षेत्र में अवक्षेपण अर्थात् वर्षा की मात्रा के अनुसार बदलती है। बाढ़ के दौरान कोई गतिविधि नहीं की जायेगी। बालू खनन नदी के बहाव क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। खनन का कार्य मजदूरों द्वारा नदी तल के स्वीकृत क्षेत्र से ही किया जायेगा तथा रेत सामग्री उसके मौजूदा स्वरूप से ही संग्रहित की जायेगी। खनन की प्रक्रिया केवल 01 मीटर की गहराई अथवा भूजल स्तर से ऊपर, में जो कम हो, तक ही की जायेगी। बालू सामग्री का खनन बाढ़ के दौरान पूरी तरह से रोक दिया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना से निर्माण के लिए बालू सामग्री का खनन अत्यंत आवश्यक है। इस परियोजना से आस-पास के क्षेत्र में रहनें वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस परियोजना से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लघु खनिजों का अवैज्ञानिक संग्रहण रुक जायेगा। राज्य के लिए राजस्व उपलब्ध होगा जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है!

खनन प्रक्रिया — खनन कार्य खुली खुदाई प्रक्रिया के द्वारा नदी के किनारे उपलब्ध साधारण बालू पर किया जायेगा। खनन कार्य अर्ध यंत्रीकृत (सेमी-मेकेनाइज्ड) विधि द्वारा किया जायेगा। वर्षा ऋतु में खनन कार्य पूर्ण रूप से रोक दिया जायेगा। साधारण बालू का खनन सेमी-मेकेनाइज्ड विधि से की जाएगी तथा वाहन में अर्ध यंत्रीकृत विधि द्वारा भर दी जाएगी। जिसमें हल्के उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

परियोजना के लाभ — यह परियोजना निर्माण कार्य के लिए सामग्री प्रदान करेगी। इस परियोजना के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान होगी। परियोजना क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने में सहायक होगी। खनन कार्य से क्षेत्र में बाढ़ की सम्भावना भी काम हो जाएगी।

प्रभाव मूल्यांकन तथा रोकथाम मानक — क्रियाशील अवरथा के दौरान — परियोजना की क्रियाशील अवरथा के दौरान पर्यावरण पर कठोर प्रभाव पड़ सकता है, यदि सहज तथा सही रोकथाम मानक ना लिए जायें। पर्यावरण प्रबंधन परियोजना तथा प्रभाव आगे समझाए गये हैं।

निर्माण कार्य के दौरान — परियोजना में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। परियोजना के

.....4/-

लिए मजदूर निकटतम ग्राम से बुलाये जायेंगे, जिससे परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्तु एक अस्थायी कार्यालय का निर्माण होगा जिसमे कार्य करने वाले मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था (पीने के लिए स्वच्छ पेयजल, उठने-बैठने की व्यवस्था, फस्ट-एड की व्यवस्था इत्यादि) की जाएगी।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना से पर्यावरणीय सम्बन्धी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वह अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकता है।

प्रश्न सं0-1. श्री सुभाष चन्द्र सिंह पुत्र श्री देवदत्त सिंह, गोकलपुर खादर, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा मार्ग प्रश्न सं0-1. श्री सुभाष चन्द्र सिंह पुत्र श्री देवदत्त सिंह, गोकलपुर खादर, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण बालू के भरे ट्रक, ट्रेक्टर आदि मार्ग पर निकलते हैं जिससे ग्रामवासियों के गन्ना से भरे बुग्गियों, ट्रेक्टरों आदि को ले जाने में परेशानी होती है।

उत्तर सं0-1. परामर्शी द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में मार्ग को पट्टाधारक द्वारा चौड़ीकरण किया जायेगा।

उपजिलाधिकारी, तहसील-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा मार्ग को चौड़ीकरण करने हेतु किसानों एवं पट्टाधारक के सहयोग से मार्ग को कक्कर, ईट के रोड़े आदि डालकर मार्ग को चौड़ा किया जायेगा।

श्री एदल सिंह सहायक भू वैज्ञानिक, बुलन्दशहर द्वारा ईट के रोड़े डालकर मार्ग चौड़ा किया जायेगा। उपजिलाधिकारी, तहसील-डिबाई, बुलन्दशहर द्वारा रामघाट के आगे मार्ग को चौड़ीकरण कर ही खनन का कार्य करेंगे।

परामर्शी द्वारा बताया गया कि गंगा नदी की धारा प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि खनन कार्य अधिकतम 01 मीटर की गहराई तक अथवा भू-जल निकलने से पहले अथवा जो दोनों में जो कम होगा तक ही किया जायेगा। जिससे भूरभू जल का स्तर नीचे नहीं जायेगा। उक्त परियोजना में ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी जिससे फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पट्टेधारक प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा आश्वस्त किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा जो भी आपत्ति या सुझाव दिये गये हैं उन सभी का समाधान ग्रामवासियों की आपसी सहमति से किया जायेगा तथा परियोजना में खनन कार्य से कोई भी समस्या नहीं होने देंगे।

डॉ० एदल सिंह, सहा० भू वैज्ञा०, खनन विभाग, बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में प्रयुक्त ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा ग्राम की मुख्य सड़क के निर्माण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन में उपलब्ध धनराशि से प्रस्ताव तैयार कर भविष्य में पक्का मार्ग बनाया जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से ग्राम वासियों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के कारण खराब होने वाली फसलों को बचाने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा तथा फसलों के खराब होने पर उचित मुआवजा दिया जायेगा। वाहनों के आवागमन से होने वाली क्षति की पूर्ति पट्टेधारकों द्वारा की जायेगी। खनन कार्य से प्राप्त राजस्व का कुछ अंश ग्राम विकास जैसे सड़क, स्कूल आदि में प्रयोग किया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि परियोजना में खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा,

.....5/-

जिसमें सेमी आटो मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा भूगर्भ जल स्तर गिरने की समस्या वर्षा ऋतु में कम होना व सब्सर्विल पम्पों द्वारा भूगर्भ से अत्यधिक दोहन किया जाना है। उक्त बैठक की बीडियोग्राफी की गयी है। जिसको कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर शासन को प्रेषित की जायेगी तदोपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति होने के पश्चात पट्टे धारक द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर खनन कार्य किया जायेगा। प्लास्टिक/पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग खनन परियोजना स्थल पर पूर्णतया: प्रतिबन्धित रहेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में आरोपित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ग्रामवासियों की शिकायत पर पट्टा निरस्त किये जाने का प्राविधान है। खनन परियोजना शुरू करने से पहले खनन अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किया जायेगा। पट्टाधारकों द्वारा मार्ग का चौड़ीकरण किया जायेगा इसके बाद ही खनन कार्य पट्टाधारकों द्वारा किया जायेगा। खनन कार्य हेतु ऐसे ड्रांसपोर्टरों को लगायेंगे जिनके ड्राईवरों द्वारा शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन न करते हो। जिससे ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अन्त में उपरिथित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(एस.सी.जार्ग)
अपर संख्याधिकारी,
जिला उद्योग केन्द्र
बुलन्दशहर

Adarsh Singh
(डॉ एदल सिंह)
सहाय भू वैज्ञानिक,
खनन विभाग,
बुलन्दशहर

(आर०वी०सिंह)
सहाय वैज्ञानिक
उच्चजिलाधिकारी,
डिबाई
बुलन्दशहर

(उमाशक्ति सिंह)
उच्चजिलाधिकारी,
डिबाई

(शमशाद हुसैन)
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
बुलन्दशहर